न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास–ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 47 / 2021

प्रार्थी :–

1. मनफूल सिंह डिडेल पुत्र राधाकिशन
जाति जाट निवासी रोल तहसील जायल जिला नगौर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित।

— : : आदेश : : —

दिनांक 14/12/2022

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी सुदा मौजा रोल में खेत खसरा नम्बर 2031 / 103 रकबा 0.6273 हैक्टेयर रहता आया है। प्रार्थी गैर मुमकिन डामर सड़क से होते हुए खसरा नम्बर 101 रकबा 1.2141 हैक्टेयर गैर मुमकिन मंगरा में से होता हुआ प्रार्थी अपने खेत में प्रवेश करते आया है। तथा यही एक मात्र रास्ता प्रार्थी भुारू से लेकर आज दिन तक गाड़ी छकड़ा ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के काम में लेता आया है। प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने हेतु व खेती कार्य करने तथा खेत के कट्टाणी रास्ता नहीं लगने से खेत को संपरिवर्तन करवाने हेतु तथा रास्ता का अभाव में किसी प्रकार की सुविधा नहीं होने से प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी के इस रास्ता के सिवाय अन्य कोई नजदीक कट्टाणी रास्ता नहीं आया हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के रास्ता नजरी नक्शा में मार्क ए से बी खसरा नम्बर 101 रकबा 1.2141 हैक्टेयर गैर मुमकिन मंगरा में से 30 फुट चौड़ाई का खेत तक की लम्बाई में में माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी घोषित फरमाते हुए रास्ता दिलवाया जावे एवं इसी अनुसार उक्त रास्ता को राजस्व रिकोर्ड में तरमीम हेतु तहसीलदार जायल को आदेशित किया जावें।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार जायल को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई।

प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार जायल से 30.08.2021 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार जायल ने बताया कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2031 / 103 में आने जाने हेतु वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। अन्य वैकल्पिक रास्ता के अभाव में प्रार्थी खसरा नम्बर 101 में से होकर खेत में प्रवेश करता है। प्रार्थी द्वारा वांछित / प्रस्तावित रास्ते कि लम्बाई 20 मीटर है जो नजरी नक्शा में बिन्दु ए से बी अनुसार दर्शाई गई है। प्रस्तावित रास्ता राजस्थान स्टेट हाईव 19 से नजदीकी रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछित / प्रस्तावित रास्ते की भूमि मार्क ए से बी पर कोई कच्चा–पक्का निर्माण किया हुआ नहीं है। प्रस्तावित रास्ते भूमि का क्षेत्रफल 20 मिटर लम्बा व 9.15 मिटर चौड़ा से 0.0183 हैक्टेयर है। ग्राम रोल का खसरा नम्बर 101 किस्म गैर मुमकिन मगरा (खनिज संभावित क्षेत्र) है।

चूंकि हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधीनियम 1955 के तहत है, जिसमें तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जानी अपेक्षित होती है जो प्राप्त होकर सामिल मिसल है। उक्त प्रार्थना पत्र संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) का होने से वकुलाय की सहमति व निवेदन पर हस्तगत प्रकरण में बहस अन्तिम के निवेदन पर बहस वकुलाय सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 2031 / 103 रकबा 0.6273 हैक्टेयर मौजा रोल में आया हुआ है। प्रार्थी अपने खेत में आने जाने हेतु रास्ता नजदीकी सरकारी भूमि से मार्क ए डामर सड़क से मार्क बी है प्रार्थी की भूमि व सड़क के मध्य राजकी भूमि खसरा नम्बर 101 रकबा 1.2141 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी राजकीय भूमि से होते हुये रास्ते का उपभोग करता रहा है, जिसे नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 2031 / 103 में उक्त रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा प्रार्थी को अपने खातेदारी के खेत में आने जाने के लिए रास्ता की आत्यान्तिक आवश्यकता है तथा उक्त वर्णित रास्ते अलावा अन्य कोई रास्ता नजदीकी नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है तथा प्रार्थी को काश्त, करसण एवं संपरिवर्तन हेतु अपने खातेदारी खेत में आने जाने के लिए उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व कटाण रास्ते से निकटतम रास्ता नहीं होने पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजकीय खसरा नम्बर 101 गैर मु. मगरा में से 30 फिट चौडाई में स्वीकृत किया जावे।

पत्रावली में प्रार्थना पत्र, तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट 30.08.2021 का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने स्वयं के खातेदारी खेत खसरा नं. 2031 / 103 के लिए राजकीय खसरा नम्बर 101 गैर मु. मगरा में से रास्ता दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है। प्रकरण एवं मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी के खेत खसरा नं. 2031 / 103 में आने जाने हेतु राजकीय खसरा नम्बर 101 गैर मु. मगरा में से पूर्व से

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) जायल

आता जाता रहा है एवं वही से पूर्व में प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए रास्ता प्रचलित रहता आय है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अनुसार खातेदार कृषक को निकटतम दूरी के कटाणी रास्ते से वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध होने की स्थिति में आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध होने पर ही रास्ता स्वीकृत अथवा घोषित किये का प्रावधान है। प्रकरण में वर्णित तथ्यों, एवं मौका रिपोर्ट के अवलोकन से पृथम दृष्टयां ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी को रास्ते कि अत्यधिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होती है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हाजा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क की मंशा को धुमिल करने की नियत प्रस्तुत किया जाना एवं स्वच्छ हाथों (Clean hand) से नहीं आना प्रदर्शित करता है। तहसीलदार जायल की रिपोर्ट क अनुसार जिस भूमि से रास्ता चाहा गया है वह भूमि उपयोगी खनिज सम्पदा की सम्भावित भूमि है जिसमें से रास्ता दिया जाने पर खनिज सम्पदा के दोहन में अड़चन आ सकती है। अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 2031 / 103 रकबा 0.6273 मौजा रोल तहसील–जायल में कृषि कार्य हेतु आवागमन व आव यक संसाधन लाने व ले जाने हेतु एवं संपरिवर्तन हेतु राजकीय खसरा नम्बर 101 गैर मु. मगरा में से 30 फिट चौडाई का रास्ता के संबंध में प्रार्थी पक्ष द्वारा धारा 251क के मुख्यतः बिन्दू प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव व रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता को साबित नहीं कर पाने तथा हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वच्छ हाथों से न्यायालय में पेश नहीं किये जाने व रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि खनिज सम्पदा की सम्भावना की भूमि होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14/12/2022 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल